ACP(IT) 9/12

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः परीक्षा–I/सैल–8/2022/301 दिनांक 08-12-22

-:कार्यालय आदेश :-

माननीय प्रशासक महोदय के आदेश दिनांक 07.12.2022 के अनुपालन में बोर्ड परीक्षा–2023 के परीक्षार्थ आवेदन–पत्र नोडल केद्र पर जमा नही कराने एवं प्रोविजनल आवदेन पत्र जमा कराने के सन्दर्भ में बोर्ड नियमानुसार शास्ति शुल्क में निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	पूर्व नियमानुसार	प्रदत्त शिथिलता
बोर्ड अधिवेशन दिनांक 08 मई 2015 के प्रस्ताव सं.–52 के बिन्दू सं.–3	आवेदन पत्र ऑनलाईन पंच किये, बैंक में परीक्षा शुल्क का चालान भी जमा कराया किन्तु आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी नहीं निकाली :–	(A) बैंक में परीक्षा शुल्क का चालान जमा कराने के पश्चात् प्रक्रियानुसार हार्ड कॉपी (प्रोविजनल व बार कोड आवेदन पत्र) प्रिंट करके जमा नहीं करवाये जाने पर IT&C शाखा से ऑनलाईन आवेदन पत्रों की पुष्टि उपरान्त विद्यालय को आवेदन –पत्र मुद्रित करने की अनुमति प्रदान करते हुए शास्ति शुल्क 1000/– प्रति छात्र अधिकतम 30,000/– शास्ति शुल्क लिया जाय। (B) आवेदन ऑनलाईन पन्च किये, बैंक में परीक्षा शुल्क चालान भी जमा कराया तथा बार कोड कॉपी नहीं निकाली व प्रोविजनल आवेदन पत्र त्रुटिवश जमा करा दिये :– बैंक में परीक्षा शुल्क जमा कराने तथा शुल्क चालान की मूल प्रति उपलब्ध कराये जाने व IT&C शाखा से ऑनलाईन आवेदन पत्रों की पुष्टि उपरान्त विद्यालय को आवेदन पत्र मुद्रित करने की अनुमति प्रदान करते हुए रू.1000/– प्रति आवेदन पत्र व अधिकत रू. 20,000/– शास्ति शुल्क लिया जाय।
बोर्ड अधिवेशन दिनांक 08 मई 2015 के प्रस्ताव सं.–52 के बिन्दू सं.–4	नोडल केन्द्रों पर प्रोविजनल आवेदन पत्र जमा कराऐं :–बैंक में परीक्षा शुल्क जमा होने के चालान की प्रति उपलब्ध कराने तथा शुल्क जमा की पुष्टि होने तथा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी उपलब्ध करवाने पर रू 500/– प्रति परीक्षार्थी की दर से शास्ति शुल्क अधिकतम 25,000/– रू लिया जाये।	आवेदन–पत्र पन्च किये शुल्क बैंक में जमा कराया तथा आवेदन–पत्र की प्रोविजनल तथा बार कोड हार्ड कॉपी मुद्रित कर ली परन्तु भूलवंश प्रोविजनल कॉपी जमा कराने पर IT&C शाखा से ऑनलाईन आवेदन पत्रों की पुष्टि उपरान्त प्रति छात्र रू.500 शास्ति शुल्क व अधिकतम रू. 5,000/– लिया जाय। **(मूकबधिर व नेत्रहीन विद्यालयो को उक्त शास्ति से मुक्त रखा जाय।)**

नोट :– 1. अन्य शास्ति शुल्क यथावत रहेगा

2. नियमों में उपरोक्त शिथिलता तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती है। विद्यालयों से प्राप्त शास्ति शुल्क में से उपरोक्तानुसार राशि समायोजित करते हुए नियमानुसार सम्बन्धित शाखा स्तर पर आदेश प्राप्त कर लौटाने की कार्यवाही की जाये।

3. उपरोक्त बिन्दु 3 (A) (B) में अंकित विद्यालयों से शास्ति शुल्क प्राप्त होने पर ऑनलाईन बार कोड आवेदन – पत्र एक सप्ताह के भीतर डाउनलोड करवाकर मंगवाये जाए।

8/12/2022
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. निजी सचिव (माननीय प्रशासक महोदय)
02. निजी सचिव (सचिव महोदया)
03. विशेषाधिकारी महोदया (परीक्षा)
04. समस्त अधिकारी
05. समस्त अनुभाग अधिकारी (परीक्षा–1) (आई.टी.एण्ड.सी.सैल)/लेखा
06. रक्षित पत्रावली

मुख्य नियन्त्रक (परीक्षा)